अनुसूची १४--फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

भूमि विवाद अपील संख्या-63/2012

ब्रहमदेव सिंह एवं अन्य ..... अपीलकर्त्ता,

बनाम

रघुनन्दन यादव एवं अन्य .....विपक्षी

आदेश

31-10-2014

यह अपील अपीलकर्त्ता द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर के भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या-61/2011 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2012 के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात का अवलोकन किया।

3. अपीलकर्त्ता का अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कथन संक्षेप में है कि विवादित भूमि वाद पत्र के मद संख्या-1, मौजा-गौरी, थाना न0-276, अंचल-सलखुआ, जिला-सहरसा में स्थित है, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं :-

खाता (पुराना)		खेसरा (पुराना)	रकवा बीघा-कट्ठा-धूर
49	-	583/685 (नया)	0-1-10
83	-	585/685 (नया)	0-3-0
76	-	579	0-4-4

वाद पत्र के मद संख्या-1 की भूमि विपक्षी संख्या-1 के पिता से निबंधित केवाला संख्या-17346 दिनांक 11-10-1968 द्वारा उनके पिता को प्राप्त है, जिसपर जमाबन्दी कायम है और मालगुजारी रसीद प्राप्त हो रहा है तथा वे

शांतिपूर्वक दखलकार है। निम्न न्यायालय के अर्जी के अनुसार मद संख्या-2 एवं 3 एवं 4 उनकी खतियानी मरौसी भूमि है जिसपर उनके पिता के नाम सरिस्ता बिहार सरकार में कायम है। मद संख्या -2 की भूमि हाल सर्वे में विपक्षी संख्याा-1 के पिता, चन्दर यादव के नाम से दर्ज हो गया एवं खाता संख्या-60 दर्ज हो गया। बी0टी0एक्ट की धारा 106 के अन्तर्गत मोकदमा संख्या-8683A/85 में पारित आदेश दिनांक 27.06.2008 एवं मोकदमा संख्या-13869/85 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2008 द्वारा अपीलर्क्ता के नाम से सुधार हुआ। मद संख्या-4 की भूमि भी उनकी खतियानी पैतृक सम्पति है, जिसका जमाबंदी संख्या-350 उनके पिता के नाम से कायम है। विपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय के अर्जी में मद संख्या 1,2,3 एवं 4 के फसल लुटने एवं वेदखल करने की धमकी दिये जाने के कारण उनके द्वारा निम्न न्यायालय में वाद संख्या-61/2011 दाखिल किया गया एवं निम्नांकित अनुतोष की याचना की गयी :- (क) निम्न न्यायालय के अर्जी में वाद पत्र के मद संख्या-1,2,3 एवं 4 की भूमि पर अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत उनके (अपीलर्क्ता) अधिकार का प्राख्यापन किया जाय (ख) प्रश्नगत् भूमि के गैर कानूनी बेदखली के अन्तर्गत पुनः दखल स्थापित किया जाय (ग) उनकी वाद खर्चा विपक्षी से दिलायी जाय। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि विपक्षी द्वारा विवादित भूमि भूतपूर्व जमींदार द्वारा बन्दोबस्त होने का गलत दावा किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलर्क्ता के इन तथ्यों की अनदेखी कर दिनांक 19.01.2012 द्वारा मद संख्या-1 के भूमि पर उनके (अपीलर्क्ता) के अधिकार एवं दखल की घोषणा का प्रख्यापन किया गया एवं विपक्षी के भूतपूर्व जमींदार से बन्ददोबस्ती के दावा के अधिकार एवं दखल की पुष्टि की गयी जो सही प्रतीत होता है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि विवादित भूमि उनकी खतियानी पैतृक सम्पति है, जिसे मालिक जमींदार द्वारा बन्दोबस्त किये जाने का कोई प्रश्न ही नही उठता है। विपक्षी द्वारा नाजायज, फर्जी जमींदारी परवाना के आधार पर उनके (अपीलर्क्ता) के पुस्तैनी भूमि पर गलत दावा किया गया है। निम्म न्यायालय द्वारा मात्र एक प्लाट का स्थल निरीक्षण किया गया एवं विपक्षी के दखल कब्जा, अधिकार की पुष्टि की गयी। वस्तुतः उन्हे अन्य मदो 2,3 एवं 4 की भूमि का भी सत्यापन करना चाहिए था। अपीलकर्त्ता के कथन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर उनका कब्जा नहीं है। अपने दावे के समर्थन में बहस के दौरान उनके द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. विपक्षी का अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कथन संक्षेप में है कि विवादित भूमि मौजा गौरी तौजी नम्बर 2572 खाता पुराना 83,49,75,126,154 कुल रकवा दो बीधा सात कट्ठ सतरह धूर तारीख 10 पूस 1332 साल फसली को बन्दोबस्ती परवानगी से विपक्षी रघुनन्दन यादव वगैरह के

पूर्वज हिरालाल गोप उर्फ हिया गोप, पिता–रौदी गोप द्वारा नजराना देकर बन्दोबस्ती भूतपूर्व जमीन्दार बाबू नजीरद्दीन साहेब मालिक जमींदार डयोढ़ी बख्तियारपुर से प्राप्त है, जिसका परवानगी पुराना हो जाने के कारण धुधंला हो गया है, जिसे उर्दू लब्ज में रहने के कारण हिन्दी में अनुवाद कर दाखिल किया गया है। इसका जमाबंदी नं0–49 भूतपूर्व जमींदारी में हिरालाल गोप पिता–रौदी गोप के नाम से मालगुजारी रसीद निर्गत होता रहा। इनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी के पूर्वज हिरालाल गोप के जमाबंदी नं0–49 के साथ अन्य जमाबंदी नं0–93, 102, 126, 139 को एक साथ करके चन्दर गोप व मनराज गोप पिता–हिरालाल गोप के नाम से 1335 फसली साल में विवादित भूमि अन्य भूमि के साथ कुल नौ बीघा तीन कट्ठा चौदह धूर दस धूरकी की जमाबंदी भूतपूर्व जमींदार के यहाँ चलती रही। जो चन्दर गोप व मनराज गोप के नाम से निर्गत वर्ष 1332 से 1357 साल फसली के लगान रसीद से स्वतः स्पष्ट है। जमाबन्दी न0–45 का बिहार सरकार का मालगजारी रसीद वर्ष 1956–57 से लगातार निर्गत होता आया है, जिसका हाल सर्वे में जमाबंदी न0–60 है जिसका कुल रकवा नौ एकड़ सताईस डिसमील है। हाल के कटे रसीद बिल्कुल स्पष्ट है, जिससे विपक्षी का दावा सम्पुष्ट होता है। बहस के दौरान विपक्षी द्वारा सारे प्रासंगिक कागजात प्रस्तुत किये गये।

विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलर्क्ता का दावा अपने आप में भ्रामक है। अपीलर्क्ता मद संख्या–1 के खाता 49, 83, 75 की भूमि विपक्षी संख्या–1 के पिता से खरीदगी की बात करते है, पुनः मद संख्या–2, 3 एवं 4 में खाता 49, 75, 76 एवं 83 का खतियानी रैयत का ऋराधिकारी भी कहते है। अतः अपीलर्क्ता का दावा असत्य, भ्रामक है, जो निरस्त योग्य है। विवादित भूमि उनको (विपक्षी) को भूतपूर्व जमींदार द्वारा परवानगी बन्दोबस्ती में प्राप्त है। इन सभी भूमि का जमाबन्दी स्थल जाँचोपरान्त राजस्व कागजात के अनुरूप कायम हुआ है जो मान्य है।

5. निम्न न्यायाल का अभिलेख, आदेश, वाद अभिलेख पर उपलब्ध कागजात, विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित जवाव, उभय पक्ष द्वारा अपने दावा के समर्थन दाखिल दस्तावेज तथा उभय पक्ष द्वारा बहस के दौरान रखे गये तथ्यों पर मंथन करने के उपरान्त परिलक्षित होता है कि अपीलर्क्ता प्रश्नगत् जमीन को पुस्तैनी खतियानी सम्पति होने का दावा करते हैं, वही विपक्षी का दावा है कि प्रश्नगत् जमीन उनके पूर्वज को भूतपूर्व जमींदार द्वारा बन्दोबस्ती में प्राप्त है। विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर के आदेश दिनांक 19.01.2012 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्षो के दावा/प्रतिदावा के वास्तविकता हेतु स्वंय स्थलीय जाँच की गयी। जाँच के दौरान ग्रामीणों द्वारा प्रश्नगत् भूमि को विपक्षी

द्वारा दखल कब्जा कर लेने की बात बतलाई गयी। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा पाया गया कि अपीलकर्त्ता खतियानी रैयत के वंशज है परन्तु भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत बन्दोबस्ती एवं तदनुसार निर्गत मालगुजारी रसीद की निरन्तरता एवं जमीन्दारी उन्मूलन के समय जमा वापसी एवं अपीलकर्त्ता के पूर्वज द्वारा की गयी बिक्री की जमीन पर विपक्षी का अधिकार एवं दखल सुस्पष्ट है। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता के केवाला प्राप्ति जमीन (वाद पत्र का मद संख्या–01) पर अधिकार एवं दखल की पुष्टि की गयी एवं अपील अंशतः स्वीकृत किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा अपने दिये गये स्थलीय जाँच में स्पष्ट नहीं किया गया कि विवादित भूमि वाद पत्र के मद संख्या–01, 02, 03 एवं 04 के भूमि का स्थलीय जाँच किया गया । अतः मैं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2012 से सहमत हूँ।

अतः भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर के पारित आदेश दिनांक 19.01.2012 को निरस्त (Set-aside) किया जाता है तथा वाद को प्रतिपक्षी रघुनन्दन यादव एवं अन्य के पक्ष में लाये गये दावा सम्पुष्ट किया जाता है। उभय पक्ष चाहे तो अंचल अमीन से भूमि का सीमांकन मदवार करवा सकते हैं तथा उपलब्ध राजस्व कागजातों के अनुरूप निम्न न्यायालय के अर्जी में अंकित चारो मदों की भूमि की स्थिति स्पष्ट हो जाए।इस आदेश के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय के अभिलेख वापस करें तथा इसकी सूचना स्थानीय अंचल पदाधिकारी को अपेक्षित कार्यार्थ भेजें।

31.10.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

31.10.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा